

528

529

विजयस गॉस्ट के अनन्तर्गत डाक शुल्क के
समय भंगालान (विना डाक टिकट) के प्रेषण
के अन्तर्गत क्रमांक जो 1-22-छत्तीसगढ़
प्रदेश, 48 सि से थिबार्ड, दिशाक,
30-05-2001



राज्यपाल कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर, 2014-2015

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208-अ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 मई 2014— वैशाख 23, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

संचालक, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-21/18/2014. — हाथ से पैसा देने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्जन अधिनियम, 2003 (2013 का सं. 25) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा 1 दिसम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियत निर्देश के रूप में अधिसूचना करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम. एम. मिंज, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

क्रमांक एफ 5-21/18/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसूचना में इस विधान की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-21/18, 2014 दिनांक 13-05-2014 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एम. मिंज, उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर


शुद्धिपत्र

नया रायपुर, दिनांक 30 DEC 2015

क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012 . छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 16, दिनांक 18 अप्रैल, 2014 पृष्ठ क्रमांक 598 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ हाथ से मैला होने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वासि नियम, 2014 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012, दिनांक 4 मार्च, 2014 के हिन्दी पाठ में, नियम 2 के खण्ड (ड) की तृतीय पक्ति में "समिति की संरचना और कृत्य राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी" को "समिति की संरचना और कृत्य परिशिष्ट-दो के अनुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी" पढ़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(डी.डी.कुजाम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथाअनु.जा.वि.वि.

पृ0क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012

नया रायपुर, दिनांक 30 DEC 2015


प्रतिलिपि :-

1. मान.मुख्य मंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री,छत्तीसगढ़ शासन,आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग, नया रायपुर।
3. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नईदिल्ली।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/गृह विभाग/नगरीय विकास/लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर।
10. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
11. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

/ / 2 / /

// 2 //

12. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
13. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर।
14. समस्त सभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
15. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
16. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य, अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, बी-9, सेक्टर-5, देवेन्द्रनगर, रायपुर।
17. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर।
18. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
19. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।
20. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।
21. उप निदेशक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर की ओर साधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. संबंधित
23. आर्डर बुक।


 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आ.जा.तथाअनु.जा.वि.वि.